राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	479/2025 धापू देवी बनाम रामचन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/11/2025 को पेश हो।	
19/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 09/04/2025 पारित करते हुये वादिया अपने वाद को साबित करने में असफल रहना धारित करते हुए अपीलार्थीयां का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री दिनांक 09/04/2025 पारित करते हुये अपीलार्थीयां का वाद ख़ारिज किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। विवादग्रस्त भूमि हरनाथ की भूमि थी एवं हरनाथ ने अपने भाई के लडके रामचन्द्र को गोद लिया गया। विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण खोले जाने पर पत्नी एवं रामचन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। रेस्पो. रामचन्द्र के दो लडके थे। दत्तक पुत्र ने अपीलार्थीयां को मारपीट कर विवादग्रस्त भूमि से निकाल दिया गया जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री दिनांक 09/04/2025 पारित करते हुये अपीलार्थीयां का वाद ख़ारिज किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील अपीलार्थीयां स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम करते हुये सही रूप से निर्णय पारित किया गया है। नामान्तकरण सन 1967 का था, जिसकी सभी को जानकारी थी। अपीलार्थीयां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 50 वर्ष पश्चात दावा पेश किया गया है। अपीलार्थीयां धापू देवी की पैतृक सम्पत्ति उसके पिताजी की भूमि है एवं अपीलार्थीयां 95 वर्ष की महिला है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय पारित किया है	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

धापू देवी बनाम रामचन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख हुक्म में जारी हुए
	जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थीयां ख़ारिज फरमायी जावे |	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु कायम की गयी तनकीयात का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09/04/2025 उचित प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थीयां ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर